दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

निर्वाचन कार्य में लापरवाही: कलेक्टर सिन्हा ने दो कर्मचारियों को किया निलंबित

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने शिक्षक डाईट धरमजयगढ़ मुलाराम भगत एवं सहायक ग्रेड-3 धनीराम राठिया को निर्वाचन प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में दोनों कर्मचारियों को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय धरमजयगढ़ में अटैच किया गया है। शिक्षक डाईट धरमजयगढ़ मुलाराम भगत एवं सहायक ग्रेड-3 धनीराम राठिया वन परिक्षेत्र कापू को विधानसभा क्षेत्र-19 धरमजयगढ़ अंतर्गत मतदान दल में ड्यूटी लगाया जाकर प्रशिक्षण के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल धरमजयगढ़ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। दोनों कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है।

कलेक्टर के बिना अनुमति अवकाश पर नहीं जायेंगे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 9 अक्टूबर को विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा की जा चुकी है। जिसके फलस्वरूप रायगढ़ जिले के 4 विधानसभाओं में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने जिले में पदस्थ सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों से कहा है कि कलेक्टर के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा अपने निर्धारित मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन कार्य में उनकी आवश्यकता पडऩे पर अल्प सूचना में उन्हें उपस्थित होना होगा।

अज्ञात ट्रक ने एक्टिवा सवार महिला को कुचला

रायपुर (आरएनएस)। माना कैम्प थाना क्षेत्र के माना बस्ती रोड पर कल एक अज्ञात ट्रक ने एक्टिवा सवार महिला को रौंद दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पीएम के लिए भेज दिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि माना बस्ती के निकट कोई अज्ञात तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा क्रमांक सीजी 04-एनएफ/ 4803 में सवार मृतिका पूर्णिमा शर्मा पति हरेंद्र शर्मा 45 वर्ष निवासी छ.ग.नगर टिकरापारा रायपुंर को जाते समय अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में पूर्णिमा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पीएम के लिए भेज दिया है। वहीं अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है।

कार पलटने से वृद्ध की मौत :

वहीं एक अन्य हादसे में एक तेज रफ्तार कार क्रमांक सीजी 04-एचबी/4759 का चालक टिकेन्द्र वर्मा सडक़ में मवेशी से टकरा कर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। हादसे में कार पलट गई और टिकेन्द्र बुरी तरह से घायल हो गया वहीं कार में सवार वेद प्रकाश साहू पिता सुखदेव साहू 61 वर्ष निवासी शांति नगर रायपुर को गंभीर चोट लगने के कारण मौत हो गई।

सूने मकान का ताला टूटा, 50 हजार का सामान पार

रायपुर (आरएनएस)। राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र के पुष्पांजली कालोनी महात्मा गांधी नगर अमलीडीह के सूने मकान का ताला टूटा हुआ। अज्ञात चोर ने यहां से सोने-चांदी के जेवरात सहित नगदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रार्थी मोतीराम कंवर पिता उदय राम कंवर ने शिकायत दर्ज कराया कि घटना दिनांक 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के मध्य वह कहीं बाहर गया हुआ था। इस दौरान उसके सूने मकान का ताला तोडक़र कोई अज्ञात चोर ने सोने-चांदी के जेवर, नगदी 2 हजार रूपए सहित करीब 50 हजार रूपए का सामान पार कर दिया। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है।

हाइवा ने स्कूटी सवार अधेड़ को रौंदा

रायपुर (आरएनएस)। नेवरा थाना क्षेत्र के कोटा रोड में एक तेज रफ्तार हाइवा ने स्कूटी सवार अधेड़ को अपनी चपेट में ले लिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हादसा 8 तारीख को दोपहर 2.30 बजे के आसपास कोटा-नेवरा रोड पर हुआ। एक तेज रफ्तार हाईवा ट्रक क्रमांक सीजी 07-डीएल/6515 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाते हुए विभूति कुमार झा पिता सीताराम झा 56 वर्ष निवासी पार्वतीनगर गुढिय़ारी रायपुर को स्कूटी से जाते समय अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बुरी तरह से घायल विभूति झा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है।

मतदाताओं को लुभाने एवं मतदान को प्रभावित करने वाले सामग्रियों पर करें सख्त कार्यवाही

- मतदान प्रक्रिया समाप्ति तक रेलवे पुलिस करें ट्रेनों की चेकिंग
- अवैध शराब के परिवहन, भण्डारण पर कार्यवाही करने के दिए निर्देश

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात प्रवर्तन कार्रवाई टीम की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में ली। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार भी उपस्थित थे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिन्हा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में जिले में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी हैं। जिसके तहत रायगढ़ जिले में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए आगामी 17 नवम्बर 2023 को मतदान की तिथि निर्धारित है। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने, प्रभावित करने वाले सामग्रियों पर सख्ती से कार्यवाही करें। जिससे जिले के विधानसभाओं में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रलोभन मुक्त निर्वाचन का कार्य संपन्न हो सके।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिन्हा ने आबकारी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि रायगढ़ जिला ओडिशा बॉर्डर से लगा हुआ है, लिहाजा इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ सघन जांच की कार्यवाही करें। उन्होंने आबकारी विभाग को जिले में अवैध शराब परिवहन, भंडारण पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के बॉर्डर से किसी भी प्रकार का अवैध परिवहन नहीं होना चाहिए। कलेक्टर सिन्हा ने जीएसटी विभाग से जिले में स्थित वेयर हाउस, गोडाउन के संबंधित जानकारी लेते हुए गारमेंट्स, किचन सामग्री, स्पोर्ट्स समान के अवैध भंडारण की मौके स्थल पर जांच की कार्यवाही करें। उन्होंने रेलवे पुलिस को रेल द्वारा आगामी निर्वाचन को प्रभावित करने वाले सामग्रियों के परिवहन पर कड़ी निगरानी के साथ जांच कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रेल की जांच एवं राज्य की सीमा स्थित स्टेशनों पर मुस्तैदी के साथ चेकिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में त्योहारी सीजन प्रारंभ होने वाली है, लिहाजा व्यापारियों से जांच के नाम पर अनावश्यक परेशान न करते हुए कार्यवाही करें।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिन्हा ने कहा कि जिला खनन क्षेत्र है, इसलिए प्रभावशील कार्यवाही जारी रखें। उन्होंने कहा सभी विभागों से कार्यवाही की रेगुलर रिपोर्टिंग करने के साथ आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि कार्यवाही में आसानी हो। उन्होंने कहा कि जिले में आगामी 21 से 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का समय हैं। राज्य के प्रथम चरण में होने वाले विधानसभा से मार्गदर्शन लेने, शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सभी अधिकारी निर्वाचन का कार्य को प्राथमिकता से करें, किसी प्रकार के अन्य कार्यों की समीक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा की कोई भी शासकीय गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस में राजनीति प्रतिनिधियों को बैठक, समीक्षा न हो यह सुनिश्चित की जाए। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारियों के साथ नगरीय निकाय के अधिकारियों को राजनीतिक प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर बैनर को हटाने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान सहायक कलेक्टर युवराज मरमट, अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय, डीएफओ रायगढ़ स्टायलो मण्डावी, जिला आबकारी अधिकारी रामकृष्ण मिश्रा, परिवहन अधिकारी दुष्यंत रायस्त वाणिज्यिक कर, जीआरपी/आरपीएफ, खनिज सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

भटकते मानसिक रोगी को चक्रधरनगर पुलिस ने मानसिक चिकित्सालय सेन्दरी में कराया दाखिला

रायगढ़। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन करते हुये क्षेत्र में भटकने वाले मानसिक रोगी को उचित उपचार के लिये राज्य मानसिक रोगी चिकित्सालय सेन्देरी बिलासपुर में भर्ती कराया गया है।

आज दिनांक 10/10/2023 को थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर को फारेस्ट कालोनी के रहवासी ने सूचना दिया कि कुछ दिनों से एक विक्षिप्त व्यक्ति (उम्र करीब 45 साल) फारेस्ट कालोनी, टीवी टावर की ओर मंडराता रहता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। थाना प्रभारी ने स्टाफ को तस्दीक करने कहा गया जिनके द्वारा विक्षिप्त व्यक्ति को थाने लाया गया। संवेदनशील टीआई प्रशांत राव अहेर ने विक्षिप्त व्यक्ति को सामाजिक उपेक्षा से मुक्त कराने की दिशा में उसके उचित इलाज के लिये स्वयं रुचि दिखाते हुए विक्षिप्त व्यक्ति का शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ से परीक्षण कराया गया जिसमें डॉक्टर द्वारा व्यक्ति को मानसिक रोगी होना बताकर इलाज के लिए राज्य मानसिक चिकित्सालय सेन्दरी रेफर करने की सलाह दिए जिस पर थाना प्रभारी द्वारा जेएमएफसी न्यायालय से मनोरोगी को उचित उपचार के लिए अस्पताल में दाखिले के लिए अनुमति मांग किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदाय किए जाने पर आज थाना चक्रधरनगर से आरक्षक नरेंद्र भारद्वाज मनोरोगी को राज्य मानसिक चिकित्सालय सेन्दरी बिलासपुर दाखिल करने रवाना हुआ है। पहले भी चक्रधरनगर पुलिस द्वारा क्षेत्र के मानसिक रोगियों के उचित इलाज एवं उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने में योगदान देता रहा है।

बिना परमिट चल रही बस के संचालक का लैलूंगा पुलिस ने काटा 12600 रुपए का चालान

रायगढ़। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने व सुरक्षित यातायात बनाए रखने यातायात पुलिस व थानों की टीमों द्वारा समय-समय पर यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की जाती है। गत दिनों रायगढ़-घरघोड़ा मार्ग पर हुये सड़क दुर्घटनाओं के समीक्षा पर वाहन चालक की लापरवाही के साथ वाहन तथा वाहन के दस्तावेजों में कई खामियां पायी गई थी जिसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारियों को वाहनों के चालक व उसके दस्तावेजों की जांच व कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा अपने स्टाफ के साथ बिना परमिट चल रही बसों की जांच किया गया जिसमें रायगढ़ से जशपुर चलने वाली कृपा बस के संचालक/मालिक द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन के नियमों को तक में रखते हुए बिना परमिट के बस संचालन किया जा रहा था। बस मालिक के कृत्य पर थाना प्रभारी लैलूंगा द्वारा यातायात के नियमों के तहत 12,600 रूपये का समन शुल्क का चालान काटा गया है। लैलूंगा पुलिस की कार्यवाही से ऐसे बस संचालक को में हड़कंप मचा है।

विदित हो कि आने वाले निर्वाचन को लेकर छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में आचार संहिता प्रभावशील है। प्रशासन व पुलिस पर आदर्श आचार संहिता का पालन कराने की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में नियमों के विपरीत बस संचालन पर लैलूंगा पुलिस द्वारा कार्यवाही किया गया। प्रभावशील आचार संहिता का पूर्ण रूपेण पालन कराने पुलिस प्रतिबद्ध है, आगे भी ऐसे नियमों का पालन नहीं करने वाले बस मलिक व चालकों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगा।

फरार वारंटियों की धरपकड़ तेज, 2 स्थायी वारंट समेत 6 वारंटी गिरफ्तार

रायगढ़। आचार संहिता के प्रभावशील होते ही पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से फरार आरोपियों तथा वारंटी की धरपकड़ तेज कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर थाना प्रभारी द्वारा उनके क्षेत्र के फरार आरोपियों और वारंटियों को पकड़ने की तमिल के लिए टीम बनाकर उनके मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 10/10/2023 को थाना कोतवाली और चौकी जोबी स्टाफ द्वारा एक-एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। वहीं कोतरारोड़ एवं घरघोड़ा पुलिस ने 2-2 गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।

कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया स्थानी वारंटी पिंटू उर्फ राहुल अग्रवाल निवासी गौशाला रोड हमलपारा खरसिया पिछले 06 साल पुराने मामले में वांछित था। वहीं जोबी पुलिस द्वारा 7 साल पुराने लूट के आरोपी सूरज दास महंत को गिरफ्तार जेएमएफसी खरसिया के न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रभावशील आचार संहिता का पालन कराने थाना प्रभारी छाल ने ली गुंडा बदमाशों की क्लास

संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने पर जेल जाने की दी चेतावनी

रायगढ़। आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य समेत देश के 5 राज्यों में आचार संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूपेण पालन करने की प्रशासन व पुलिस को बड़ी जिम्मेदारी है। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए बदमाशों पर कार्यवाही नितांत आवश्यक है जिसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारी को बदमाशों को नियंत्रित करने आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया गया है । इसी क्रम में थाना प्रभारी छाल निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा थाना क्षेत्र के गुंडे बदमाशों को थाने बुलाकर उन्हें आचार संहिता के प्रभावशील होने की जानकारी देते हुए किसी भी अवैधानिक गतिविधियों में संल्पित पाए जाने पर कार्यवाही कर सलाखों के पीछे भेजे जाने की सख्त चेतावनी देते हुये शांतिपूर्ण रूप से जीवन यापन करने के निर्देश दिये और इसमें किसी प्रकार की समस्या आने पर आकर बताने कहा गया। थाना प्रभारी छाल निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा अपने स्टाफ को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के विचुअल पुलिसिंग की मंशा अनुरूप लगातार क्षेत्र में पेट्रालिंग कर गतिविधियों पर निगाह रखने निर्देशित किया गया है।

हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षा फार्म भरने की तिथियां घोषित

0 परीक्षार्थी सामान्य शुल्क के साथ 31 अक्टूबर तक भर सकेंगे परीक्षा फार्म

रायपुर । छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी मुख्य एवं अवसर परीक्षा वर्ष 2024 के परीक्षा फार्म भरने की तिथियां घोषित कर दी है। सामान्य शुल्क के साथ परीक्षार्थी 31 अक्टूबर तक फार्म भर सकते हैं।

माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य शुल्क के साथ फार्म भरने की तिथि 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है। मंडल के सचिव प्रोफेसर व्ही. के. गोयल ने बताया कि परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 01 नवम्बर से 15 नवम्बर तक और विशेष विलंब शुल्क के साथ 16 नवम्बर से 31 नवम्बर तक परीक्षा फार्म भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्वाध्यायी मुख्य एवं अवसर परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थी शासकीय एवं अशासकीय अग्रेषण संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा फार्म भर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी मंडल की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

कलेक्टर सिन्हा ने नोडल अधिकारियों को दी आदर्श आचार संहिता की विस्तृत जानकारी

- निर्वाचन संपन्न कराने प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा
- निर्वाचन में सेक्टर अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण, प्रशिक्षण में शामिल हुए कलेक्टर सिन्हा

रायगढ़। भारत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने एवं प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक ली।

कलेक्टर सिन्हा ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने एवं निष्पक्ष रहने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय अधिकारी निर्वाचन कार्यों के अलावा किसी भी प्रकार की योजनाओं से जुड़े समीक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, वे कार्य जारी रहेंगे एवं उसकी राशि आबंटन होगी। कलेक्टर सिन्हा ने विभागीय टेंडर प्रक्रिया नहीं करने एवं राजस्व विभाग को भूमि आवंटन तथा विस्थापन के कार्य नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया में रोक तथा स्थानांतरण पश्चात कार्यभार ग्रहण नहीं कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यालयों एवं योजनाओं से संबंधित वस्तुओं से राजनैतिक दलों के व्यक्तियों की छाया चित्र हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोस्टर बैनर के छपाई में मुद्रक का नाम पता के साथ प्रतियों की संख्या उल्लेखित हो सुनिश्चित किया जाए। मतदान से 48 घंटे पूर्व शराब बिक्री प्रतिबंधित करने के निर्देश आबकारी को दिए। इस दौरान उन्होंने आरईएस को कहा कि जिन स्कूलों को मतदान केंद्र बनाया गया है उन्हें अतिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें, साथ ही मतदान केंद्रों में आवश्यक जानकारी लेखन का कार्य पूर्ण किया जाए। कलेक्टर सिन्हा ने निर्वाचन में वाहनों की संख्या की जानकारी लेते हुए, निर्वाचन में ड्यूटी में संलग्न ड्राइवर एवं कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र के लिए निर्देशित किया।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, अपर कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, सहायक कलेक्टर युवराज मरमट, अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय, डीएफओ स्टायलो मण्डावी, आयुक्त नगर निगम सुनील कुमार चंद्रवंशी, संयुक्त कलेक्टर डी.एस.रात्रे, जिला परिवहन अधिकारी दुष्यंत रायस्त सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सेक्टर अधिकारियों के प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए कलेक्टर, कहा निर्वाचन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण- सृजन सभाकक्ष में सेक्टर अधिकारियों की आयोजित प्रशिक्षण में कलेक्टर सिन्हा सम्मिलित हुए। उन्होंने सेक्टर अधिकारियों को उनके दायित्वों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि सेक्टर अधिकारी अपने सेक्टर के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करें। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि निर्वाचन व्यवस्था में सेक्टर अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं। जिसमें आपकी जिम्मेदारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान दलों के पहुंचने से लेकर सामग्री वितरण-वापसी से मतदान समाप्ति तक होगी।

सभी सेक्टर अधिकारी पूरी गंभीरता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उक्त प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय एवं जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल द्वारा निर्वाचन में आपकी भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, कही भी शंका होने पर शीघ्र ही उसका समाधान कर ले।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480